GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS' WELFARE)
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.6177
(ANSWERED ON 01.04.2026)

PENSION ADALATS

6177. SMT. POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) whether Pension Adalats have been conducted during the last three years and if so, the details thereof;
(b) the details of the number of pension-related grievances taken up and resolved through Pension Adalats during the last three years;
(c) whether online or hybrid modes have been adopted for conducting Pension Adalats; and
(d) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (d): Since FY 2023-24, Department of Pension & Pensioners' Welfare has conducted 8 Pension Adalats pertaining to pensioners of all Ministries/Departments of Central Government wherein, 3,594 pending grievances on CPENGRAMS Portal have been taken up and 2,713 cases have been successfully resolved on the spot through this effective initiative. The balance grievances have also been redressed or taken to finality through follow-up meetings and monitoring. These Pension Adalats are held in hybrid mode i.e. physical and online, enabling the pensioners to participate and submit their grievances for timely and effective redressal.

*****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6177
(दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए)

पेंशन अदालतों का आयोजन

6177: **श्रीमती पूनमबेन माडम:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पेंशन अदालतों के माध्यम से पेंशन संबंधी कितनी शिकायतों पर कार्रवाई की गई और कितनी शिकायतों का समाधान किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेंशन अदालतों के संचालन के लिए ऑनलाइन या हाइब्रिड पद्धति अपनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के पेंशनभोगियों की शिकायतों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, 8 पेंशन अदालतें आयोजित की हैं, जिनमें सीपेनग्राम्स पोर्टल से काफी समय से लंबित पड़ी 3,594 शिकायतों को चुना गया और इस प्रभावी पहल द्वारा 2,713 शिकायतों का ऑन-द-स्पाट सफलतापूर्वक समाधान किया गया। बाद में, शेष शिकायतों का भी समाधान किया गया या फॉलो-अप बैठकों तथा मॉनिटरिंग द्वारा निस्तारित किया गया। इन पेंशन अदालतों को हाइब्रिड मोड अर्थात फिजीकल और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से संचालित किया जाता है, ताकि पेंशनभोगी इनमें भाग ले सकें और अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सके, जिससे उनकी शिकायत का समय पर और गुणात्मक निवारण किया जा सके।

*****